दिनांक 05.09.2013 को उपायुक्त, चतरा की अध्यक्षता में सम्पन्न समाज कल्याण से संबंधित बैठक की कार्यवाही :–

1– *उपस्थिति पंजी में संधारित है।*

कार्यवाही

02– सर्वप्रथम उपस्थित राज्य सलाहकार (WIFS) द्वारा Iron folic acid की महत्ता पर प्रकाश डाला गया। इनके द्वारा बताया गया कि Iron folic acid गोली का सेवन किशोरियों को निश्चित रूप से करवाना चाहिए। इसकी एक गोली खाने से उतना ही लाभ है जितना 14 किलोंग्राम हरा पालक प्रतिदिन खाने से इस गोली के खाने से कभी–कभी प्रतिकूल परिणाम भी प्रकाश में आता है। इसका एक प्रमुख कारण किशोरी का H.B .Level 07 ग्राम से कम होना है। ऐसे किशोरियों में IFA की पहली गोली खाने से इस प्रकार की संभावना हो सकती है। कम मात्रा में पानी के साथ दवा खाने पर भी कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है परन्तु इस प्रकार की आशंका बहुत ही कम है।

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं को निदेश दिया गया कि आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए IFA की गोली का शतप्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करायें। साथ ही Iron folic acid से संबंधित मासिक प्रतिवेदन भी प्रत्येक माह उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। **(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका)**

03– तत्पश्चात मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम पर प्रकाश डाला गया । सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं को आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से मतदाता सूची का पुनरीक्षण हेतु प्रपत्र–6 भरकर संबंधित BLO को हस्तगत कराने का निदेश दिया गया। BLO के पास प्रपत्र जमा करते समय प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त कर लें। उल्लेखनीय है कि सभी बाल विकास परियोजना कार्यालय में प्रपत्र–6 पूर्व से ही उपलब्ध है। अनुपलब्धता की स्थिति में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से प्रपत्र प्राप्त करने का भी निदेश दिया गया। **(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका)**

04– समाज कल्याण से संबंधित गत बैठक की कार्यवाही की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इस जिलान्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में सेविका/सहायिका की रिक्ति से संबंधित अद्यतन जानकारी प्राप्त की गई। बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा रिक्ति की स्थिति निम्नवत बताया गया :–

क्र0	परियोजना का नाम	रिक्ति	
		सेविका	सहायिका
1	चतरा ग्रामीण	0	0
2	सिमरिया	04	06
3	टण्डवा	01	0
4	ईटखोरी	01	0
5	हण्टरगंज	01	0
6	प्रतापपुर	0	0
	कुल–	**07**	**06**

संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में इस माह के अंत तक रिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेविका/सहायिका का चयन आम–सभा के माध्यम से कर लिया जाय ताकि किसी भी केन्द्र पर पोषाहार बाधित नही हो। **(अनुपालन–संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)**

5– निरीक्षण/पर्यवेक्षण :– समीक्षा के कम में महिला पर्यवेक्षिकाओं द्वारा उपलब्ध कराये गए निरीक्षण टिप्पणी का अवलोकन किया गया। पाया गया कि निरीक्षित केन्द्रों में बच्चों की उपस्थिति ठीक है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं से इस आशय की पृच्छा की गई कि वरीय पदाधिकारियें द्वारा निरीक्षण के कम में बच्चों की उपस्थिति प्रायः कम पायी जाती है जबकि सामान्य दिनों में इनकी उपस्थिति अच्छी दर्शायी जाती है। उदाहरणस्वरूप आंगनबाड़ी केन्द्र लमटा एवं डाढ़ा (सिमरिया परियोजना) का औचक निरीक्षण के कम में बच्चों की उपस्थिति नगण्य पाया गया । आंगनबाड़ी केन्द्र लमटा में एक छोटे से तबेले में खिचड़ी बन रहा था। आंगनबाड़ी केन्द्र डाढा की सहायिका के संबंध में बताया गया कि वो विगत दो वर्ष से केन्द्र से अनुपस्थित है। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जो भी सेविका एवं सहायिका आंगनबाड़ी केन्द्र से अनुपस्थित रहती हों उन्हें हटाने का प्रस्ताव अविलम्ब जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिन केन्द्रों की स्थिति ठीक नही रहती है उनका विशेष रूप से निरीक्षण/पर्यवेक्षण कर सुधार लाने की आवश्यकता है। जिन केन्द्रों की सेविका एवं सहायिका ठीक ढंग से काम नही करती है उनकी सूची भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

निरीक्षण टिप्पणी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अवस्थित आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण नही किया जाता है। निदेश दिया गया कि उन केन्द्रों का निरीक्षण प्रत्येक माह अवश्य किये जायं ताकि उनमें सुधार किया जा सके।

प्रत्येक परियोजना अन्तर्गत संचालित केन्द्रों में से 20–20 आदर्श (Model) केन्द्रों की स्वच्छ सूची उपलब्ध कराने का भी निदेश दिया गया।

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी चतरा द्वारा बताया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में राज्य स्तर से कहानी की पुस्तकें एवं खिलौना उपलब्ध कराया गया है। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों को पूरे समय तक रोकने के लिए सेविका द्वारा उन्हें कहानी सुनाना एवं उनमें खिलौनों से खेलने की उत्सुकता उत्पन्न कराने की आवश्यकता है।

(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका)

6– मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना :– इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2012–13 में स्वीकृत कुल 843 लाभुकों में से वर्त्तमान समय तक विभिन्न परियोजनाओं से कुल 188 लाभुको के राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र कय से संबंधित आवेदन (विहित प्रपत्र) अप्राप्त रहने के कारण उनके नाम राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र निर्गत नही कराया जा सका है। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर अवशेष लाभुको के प्रपत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए प्रति केन्द्र तीन आवेदन सृजन करने का लक्ष्य दिया गया। इस प्रकार जिले में संचालित सभी 1124 केन्द्रों के आधार पर कुल–3372 का लक्ष्य जिले के लिए दिया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को इसके लिए प्रत्येक महिला पर्यवेक्षिका को लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें

उत्तरदायित्व सौपने का निदेश दिया गया। संस्थागत प्रसव की सूची असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, चतरा से सम्पर्क स्थापित कर प्राप्त करने का निदेश सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को दिया गया। माह दिसम्बर 2013 तक पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करने का भी निदेश दिया गया।

(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका)

7– मुख्यमंत्री कन्यादान योजना :– इस योजना के तहत सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को प्रखण्डवार एवं कोटिवार आवंटन तथा लक्ष्य उपलब्ध कराया जा चुका है। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका को निदेश दिया गया कि लक्ष्य के अनुरूप सुयोग्य लाभुको के आवेदन प्राप्त कर पूर्ण जाचोपरांत पंचायत समिति से सूची अनुमोदित कराते हुए दिनांक 20.09.2013 तक निश्चित रूप से जिला समाज कल्याण कार्यालय में हस्तगत कराना सुनिश्चित करें। लाभुको को चेक शादी के उपरांत शिविर लगाकर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में उचित पहचान पर उपलब्ध कराया जाय।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चतरा ग्रामीण द्वारा बताया गया कि नगरपालिका क्षेत्र के लाभुको का बी0पी0एल0 नम्बर नही है जिस कारण लाभुको का चयन नही हो पा रहा है। निदेश दिया गया कि चूँकि इस योजना के तहत लाभुको का बी0पी0एल0 नम्बर आवश्यक है अतएव इस परिस्थिति में नगरपालिका के लक्ष्य को प्रखण्ड में समाहित करते हुए आवेदन स्वीकृत किये जांय।

(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं सभी महिला पर्यवेक्षिका)

8– पोषाहार :– समीक्षा के क्रम में कार्यालय द्वारा बताया गया कि परियोजना द्वारा पोषाहार से संबंधित अभिश्रव ससमय उपलब्ध नही कराया जाता है जिस कारण विपत्र आदि तैयार करने में विलम्ब होता है।

निदेश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में माह के 5 वीं तारीख तक पिछला माह का अभिश्रव जिला समाज कल्याण कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे इसके बाद अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के पश्चात ही अभिश्रव स्वीकार किये जायेगे। पोषाहार की राशि ससमय सेविकाओं के खाते में नही जमा होने की सारी जवाबदेही संबंधित महिला पर्यवेक्षिका एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की होगी।

(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका)

9– कुपोषण :– समीक्षा के क्रम में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चतरा ग्रामीण द्वारा बताया गया कि चतरा स्थित कुपोषण उपचार केन्द्र में कुल–08 कुपोषित बच्चें इलाजरत है। 07 बेड खाली है। इसी प्रकार हण्टरगंज स्थित कुपोषण उपचार केन्द्र में एक बेड खाली है। निदेश दिया गया कि कुपोषित बच्चों को M.T.C

में भेजवाने हेतु अपने स्तर से कार्रवाई करना सुनिश्चित करें ताकि बेड खाली नही रहे। इसके अतिरिक्त भविष्य के लिए भी कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उन्हें तैयार रखे ताकि ससमय उन्हें M.T.C में भेजा जा सकें।

(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका)

10– स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना :– कार्यालय द्वारा बताया गया कि इस योजना के तहत प्राप्त आवंटन को सभी परियोजनाओं में उपावंटित किया जा चुका है।

राशि की निकासी के संबंध में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि माह जुलाई 2013 तक की राशि की निकासी की जा चुकी है एवं सम्बन्धित के खाता में हस्तान्तरित कराया जा चुका है।

निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह राशि की निकासी करते हुए उन्हें संबंधित लाभुको के खाता में हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)

11– भवनहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण :– 13 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2013–14 में भी 47 आंगनबाड़ी केन्द्र का भवन निर्माण हेतु आवंटन प्राप्त है। विगत मासिक बैठक में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेशित किया गया था कि अपने–अपने परियोजना से 08–08 भवनहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची जमीन की उपलब्धता से संबंधित प्रतिवेदन यथा खाता संख्या, प्लॉट संख्या, जमीन का किस्म आदि के साथ जिला समाज कल्याण कार्यालय, चतरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। हण्टरगंज परियोजना को छोडकर अन्य परियोजनाओं से सूची प्राप्त है। प्राप्त सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कई केन्द्रों के लिए प्रस्तावित जमीन रैयती है। फलस्वरूप भवन निर्माण के समय में अनावश्यक व्यवधान की संभावना है। रैयती भूमि के लिए भूमि मालिक के द्वारा उक्त भूमि माननीय राज्यपाल महोदय के नाम दान करना आवश्यक है।

निदेश दिया गया कि संबंधित अंचल अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए चयनित भूमि के खाता संख्या,प्लॉट संख्या, जमीन का किस्म आदि सत्यापन अवश्य करा लिये जांय।

(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/अंचल अधिकारी)

12– आधार कार्ड :– सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चें एवं उनके मां– बाप का आधार कार्ड आवश्यक है। इससे संबंधित विहित प्रपत्र पूर्व में ही सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जा

चुका है। निदेश दिया गया कि आधार कार्ड संख्या से संबंधित प्रतिवेदन अतिशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

13— अन्यान्य :— उपस्थित सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका को बताया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के सभी पंजीकृत बच्चो का पूरा डाटा परियोजना में रखा जाना है। इसमे बच्चे का नाम उसके माता–पिता का नाम एवं पता का उल्लेख आवश्यक है। केन्द्रवार बच्चों की सूची हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में 25.09.2013 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

इसके अतिरिक्त परियोजना एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों का नया कोड निर्धारण किया जाना है। इससे संबंधित विभाग से प्राप्त निदेश की प्रति पूर्व में ही उपलब्ध कराया जा चुका है। इससे संबंधित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे ताकि विभाग को प्रेषित किया जा सकें।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

उपायुक्त,
चतरा।

ज्ञापांक 467 /स0क0 दिनांक 17.9.13

प्रतिलिपि :— आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :— निदेशक, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः— सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,/महिला पर्यवेक्षिका को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः— जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ एवं जिला के Website पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

17/9/2013
उपायुक्त,
चतरा।